

2/2/88

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी को आवाज लगाई गयी। बार-बार आवाज लगाने के बावजूद भी वकील वादी/प्रार्थी न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर वाद/आवेदन अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सुपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़